D.F.A.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 13/2018 – आ0नि0

1. घीसा लाल पुत्र श्री गोकल खाती निवासी– हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा। 2. सत्यनारायण पुत्र श्री गोकल खाती निवासी– हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा –प्रार्थीगण	बनाम	1. छीतर आत्मज श्री चौथू नायक निवासी– हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा। 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाडा। विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्र्तगत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थित –

1. श्री शोभागमल कुमावत अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री बी.एल. गुर्जर अधिवक्ता – विपक्षी सं. 01 की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 4-11-2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 01 छीतर आत्मज श्री चौथू नायक को सरहद हुकमपुरा पटवार हल्का हुकमपुरा तहसील शाहपुरा हाल तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1205/1988 रकबा 0.25 हैक्टयर भूमि आवंटित की है, जो नियमों के विरूद्ध की है, जो आवंटन निरस्त होने योग्य है। उक्त आराजी पर विपक्षी संख्या 01 का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है व न ही विपक्षी संख्या 01 का कभी कब्जा है। शुरू से ही कब्जा प्रार्थी का ही चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 01 का कब्जा नही होने से आवंटन के 5–6 साल हो जाने के बावजूद भी आज दिन तक गैर खातेदारी रूप में दर्ज चली आ रही है। विपक्षी संख्या 01 को आवंटित आराजी नम्बर 1205/1988 जो कि प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1205 एवं बिलानाम आराजी नम्बर 1204 के मध्य स्थित है, आराजी नम्बर 1205/1988 एवं 1204 पर प्रार्थीगण का ही कब्जा है व वर्तमान में भी ज्वार की फसल काश्त कर रखी है। विपक्षी संख्या 01 एक द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की व आवंटन शर्तो अनुसार प्रथम वर्ष में आधे भू भाग पर व दूसरे वर्ष पूरे भू–भाग पर फसल काश्त करनी चाहिये, जो आंवटी ने नही किया व आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है। उक्त भूमि के बाबत आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किसी प्रकार से सार्वजनिक उद्घोषणा जारी नही

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

की गई और विपक्षी संख्या 01 को नाजायज लाभ पहुंचाने की गरज से विपक्षी संख्या 01 के नाम विधि विरूद्ध तरीके से आंवटन की है, जो निरस्त करने योग्य है। निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 01 को सरहद हुकमपुरा पटवार हल्का हुकमपुरा तहसील शाहपुरा हाल तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1205/1988 रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि का किया गया आवंटन निरस्त कराया जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.2018 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किए गए। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की। विपक्षी सं. 01 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में बताया कि विपक्षी संख्या 01 छीतर आत्मज श्री चौथू नायक को सरहद हुकमपुरा पटवार हल्का हुकमपुरा तहसील शाहपुरा हाल तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1205/1988 रकबा 0.25 हैक्टयर भूमि आवंटित की है, जो नियमों के विरूद्ध की है, जो आवंटन निरस्त होने योग्य है। उक्त आराजी पर विपक्षी संख्या 01 का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है व न ही विपक्षी संख्या 01 का कभी कब्जा है। शुरू से ही कब्जा प्रार्थी का ही चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 01 का कब्जा नही होने से आवंटन के 5-6 साल हो जाने के बावजूद भी आज दिन तक गैर खातेदारी रूप में दर्ज चली आ रही है। विपक्षी संख्या 01 को आवंटित आराजी नम्बर 1205/1988 जो कि प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1205 एवं बिलानाम आराजी नम्बर 1204 के मध्य स्थित है, आराजी नम्बर 1205/1988 एवं 1204 पर प्रार्थीगण का ही कब्जा है व वर्तमान में भी ज्वार की फसल काश्त कर रखी है। विपक्षी संख्या 01 एक द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की व आवंटन शर्तो अनुसार प्रथम वर्ष में आधे भू भाग पर व दूसरे वर्ष पूरे भू-भाग पर फसल काश्त करनी चाहिये, जो आंवटी ने नही किया व आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है। उक्त भूमि के बाबत आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किसी प्रकार से सार्वजनिक उदघोषणा जारी नही की गई। निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 01 को सरहद हुकमपुरा पटवार हल्का हुकमपुरा तहसील शाहपुरा हाल तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1205/1988 रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि का किया गया आवंटन निरस्त कराया जाने का आदेश प्रदान करावें।

विपक्षी सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी सं. 01 का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। विपक्षी सं. 01 को आवंटन सलाहकार समिति ने पूर्ण जांच पड़ताल कर, सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाकर नियमानुसार भू आवंटन किया हैं। विपक्षी सं. 01 भूमिहीन काश्तकार हैं तथा भूमि आवंटन की पात्रता रखता हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। विपक्षी सं. 01 के अधिवक्ता ने दस्तावेज की सूची अतंर्गत नकल जमाबंदी संवत् 2072-75, 2074-77, 2072-75, 2076-79 पेश की।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज0)

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि भू आवंटन सलाहकार समिति ने विपक्षी के अनुसूचित जाति का सदस्य होने एवं विपक्षी के पटवार मण्डल हुकमपुरा व रलायता में कोई भूमि नही होने से ग्राम हुकमपुरा के उद्घोषित आराजी नं. 1205/1988 में रकबा 0.25 हैक्ट. भूमि नोन कमाण्ड क्षेत्र की दिनांक 14.02.2013 को आवंटन की गयी हैं। छीतर पिता चौथू नायक सा. देह गेर खातेदार दर्ज हैं। विपक्षी के नाम आराजी नं. 1205/1988 रकबा 0.25 हैक्ट. पर प्रार्थी का कब्जा होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। आवंटित भूमि पर विपक्षी सं. 01 के द्वारा आवंटन के प्रथम वर्ष में आधे भू भाग पर व दूसरे वर्ष में पूरे भू भाग पर फसल काश्त नहीं करने के संबंध में प्रार्थी ने खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की हैं। विपक्षी के भूमिहीन काश्तकार नहीं होने के संबंध में प्रार्थी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य नहीं ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का अस्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार फुलियाकलां को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक .2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)
भीलवाड़ा